2015 का विधेयक संख्यांक 85

[दि माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 7 का संशोधन।

2006 का 27

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 में, —

(क) उपधारा (1) में, —

(i) खंड (क) में, —

(अ) उपखंड (i) में ''पच्चीस लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पचास लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।

(आ) उपखंड (*ii*) और उपखंड (*iii*) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(*ii*) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पचास लाख रुपये से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; या

(*iii*) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान दस करोड़ रुपये से अधिक है किंतु तीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है'';

(*ii*) खंड (ख) में, —

(अ) उपखंड (*i*) में ''दस लाख रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस लाख रुपये'' शब्द रखे जाएंगे।

(आ) उपखंड (*ii*) और उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(*ii*) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान बीस लाख रुपये से अधिक है किंतु पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; या

(*iii*) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपये से अधिक है किंतु पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक नहीं है'';

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं की विनिधान सीमाओं में जो तीन गुणा से अधिक नहीं होंगी, फेरफार कर सकेंगी।'';

(ग) उपधारा (9) में, —

(*i*) ''विनिधान के मानदंड'' शब्दों के स्थान पर ''विनिधान के उच्चतर मानदंड'' शब्द रखे जाएंगे;

(*ii*) ''लघु उद्यमों के भाग के रूप में'' शब्दों के स्थान पर ''लघु और मध्यम उद्यमों के भाग के रूप में'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 29 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के आरंभिक भाग में ''धारा 9 के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''धारा 7 की उपधारा (1क) तथा धारा 9 के अधीन'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले नीति विवाद्यकों को काम में लाने के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी/उपस्करों में उनके विनिधानों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अधीन विद्यमान सीमाएं वर्ष 2006 में नियत की गई थीं। तब से कीमत सूचकांक और निवेश लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का भाग बन जाने के कारण कारबार वातावरण में भी परिवर्तन हो गया है, इसलिए विभिन्न वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उभरती भूमिका के संगत कीमत सूचकांक और निवेश लागत में परिवर्तनों पर विचार करते हुए संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की विद्यमान सीमा में वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

2. वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में यह कथन है कि केंद्रीय सरकार, उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों का वर्गीकरण करते समय विनिधान के मानदंडों में समय-समय पर फेरफार कर सकेगी और उद्यमों में नियोजन या उनके व्यापारावर्त की बाबत मानदंड और मानकों पर भी विचार कर सकेगी। ये उपबंध केंद्रीय सरकार को सूक्ष्म, और बहुत छोटे उद्यमों या ग्रामीण उद्यमों का लघु उद्यमों के भाग के रूप में वर्गीकरण करने के लिए समर्थ बनाते हैं। वर्तमान प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को सूक्ष्म और बहुत छोटे उद्यमों या ग्रामीण उद्यमों का न केवल लघु उद्यमों के रूप में बल्कि मध्यम उद्यमों के रूप में भी वर्गीकरण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए है। यह उच्चतर विनिधान के मानदंड पर भी और उद्यमों के नियोजन या उनके व्यापारावर्त की बाबत मानदंड या मानक के विचार पर भी आधारित हो सकेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उन्नति के द्वार खुलेंगे और यह उन्हें मूल्य श्रृंखला के अगले स्तर तक जाने में समर्थ बनाएगा।

3. चूंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसलिए कोई भी फेरफार केवल किसी संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता था। मुद्रास्फीति और परिवर्तनात्मक बाजार स्थिति पर विचार करते हुए विनिधान के मानदंड को समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए अधिसूचना के माध्यम से ऐसी विनिधान सीमाओं में, जो धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से तीन गुणा से अधिक नहीं होगी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के प्रयोजनों के लिए फेरफार करने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
18 मार्च, 2015

कलराज मिश्र

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 का उपखंड (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 में उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अधिसूचना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के संबंध में विनिधान सीमाओं में फेरफार करने के लिए सशक्त किया जा सके।

2. ऐसे विषय, जिनकी बाबत प्रस्तावित विधान के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 27)

से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 3

उद्यमों का वर्गीकरण, सलाहकार समिति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

1951 का 65

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा और उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम हों, चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी,— उद्यमों का वर्गीकरण।

1951 का 65

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में—

(*i*) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(*ii*) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(*iii*) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे उद्यमों की दशा में,—

(*i*) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(*ii*) ऐसा लघु उद्यम जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(*iii*) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करने में प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की लागत को, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

1951 का 65

स्पष्टीकरण 2—यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29 ख के उपबंध, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट उद्यमों को लागू होंगे।

* * * * *

1951 का 65

1956 का 61

(9) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत करते समय, विनिधान के मानदंड में समय-समय पर, फेरफार कर सकेगी और उद्यमों के नियोजन या आवर्त के संबंध में मानदंड या मानकों

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

29. (1) * * * * *

(3) धारा 9 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना और इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना या नियम अथवा दोनों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसी अधिसूचना या नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में हीं प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस अधिसूचना या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

* * * * *

GMGIPMRND—5602LS(S3)—27.03.2015.

लोक सभा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्री , संसद सदस्य)

GMGIPMRND—5602LS(S3)—27.03.2015.